

6/1/19

कठिन प्राप्ति होकर / बर्तमान में
अप्राप्ति का हेतु मिलान दिनांक 12/1/19
का पेज ही 10 लाख अन्य कार्य में

13/1/19

पत्रावली पेज है। कठिन प्राप्ति
अथवा अप्राप्ति संपा का पेज हुआ
आ रिपोर्ट पर लिखा जाता है बहम
प्राप्त क. धारा 136 LRA पर कठिन
प्राप्ति की सुविधा। दोराने कठिन कठिन
प्राप्ति के निवेदन किना कि भूमि खण्ड
2 व 3 तन ग्राम पीपलीदा काकास फाटा
में 45/832 हिले की खालेकारी में व भूमि
खण्ड 6, 66, 76 कुल डिग 3 कुल रकबा
है तन ग्राम प्रतापपुरा के 1/16 हिले व भूमि
खण्ड 257, 295, 297 वा 306 डिग-11 तन
ग्राम नीमकी फाटा बाली में की 1/16 हिले की
खालेकारी प्राप्ति के नाम अंकित है इस
भूमि के सार्वजनिक किाई के प्राप्ति का
मनोहर विरासन के नामान्तरण के दोराने
गलत अंकित हो गया जखड़ी समस्त दरत
में प्राप्ति का लही नाम मन्नालाल है जो
दुसरे निप है नाम हित में दुसरे किना

दमने पत्रावली व पत्रावली पर उपर
सार्वजनिक किाई व तदसीमादा खण्डेला द्वारा

प्रस्तुत शर्तों का अवलोकन किया तथा
कही जादी। प्राप्ति की वृत्त पर सांगर
मगन किया। तदानीमदार खण्डेला ने
अपने शर्तों में खुलासा किया है कि मगोहर
पुरु सावंल व मन्नालाल पुरु सावंलराम
दोनों एउ ही व्यक्ति के नाम हैं। मगोहर
के वज्राय प्राप्ति का सही नाम मन्नालाल हुक्म
किया जाने की अनिश्चिता की है तथा
प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमः राक्षी
कार्ड, 10वी की शर्तिका, पत्र कार्ड, आधार कार्ड,
मतदाता पहचान पत्र, आमाषाए कार्ड इतिआदी
सभी दस्तावेजों फोटो प्रतियों में भी प्राप्ति
का सही नाम मन्नालाल पुरु सावंलराम ही
दिया है। तदानीमदार खण्डेला द्वारा प्रस्तुत
विपोर्ट व काही द्वारा प्रस्तुत हुक्म दस्तावेजों
के वादी/प्राप्ति के कथन साबित होत
हैं अतः प्राप्ति का प्राप्ति अं. धारा 136L के
अनुसार भोग्य पात्रे जाने पर स्वीकार
किया जाता है कि:-

आदेश

भूमि ख० न० 2 व 3 कुल किरा-2
रकबा 5.08 है० तन ग्राम पीपलादा का
वास प० ए० सुजाना के राजल रिकार्ड में
मगोहर पुरु सावंलराम के स्थान पर मन्नालाल
पुरु सावंलराम एउ कृषि श्रेण 136L के
अनुसार भोग्य पात्रे जाने पर स्वीकार
किया जाता है कि:-

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

66,76 डिग्रा कुल रम्बा 5.53 हे० ए० ग्राम
 प्रतापपुरा प० ए० सुजाणा के राजस्व रिकार्ड में
 मनोहर के स्थान पर मन्नालाल एवं भूमि
 क्र. न० 257, 295, 297 ता 306 डिग्रा-11
 कुल रम्बा 9.46 हे० ए० ग्राम भीमडी प० ए०
 बालडी तहसील खण्डेला जिला सीकर के
 राजस्व रिकार्ड में पार्सी का नाम मनोहर
 पुत्र सावंतराम जाट के स्थान पर मन्नालाल
 पुत्र सावंतराम ब्राह्मण राजस्व रिकार्ड में दुम्तर
 किया जाये पालना हेतु तहसीलदार खण्डेला
 को तहसीर जारी की पत्रावली के अन्तर्गत सुजाणा
 होकर नम्बर 10 कम हो बाद तहसील का जिला
 दर्ज हो।

(रुपजीत सिंह)
 RPS
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

